



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23032022-234398
CG-DL-E-23032022-234398

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 215]
No. 215]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 23, 2022/ चैत्र 2, 1944
NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 23, 2022/ CHAITRA 2, 1944

रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 मार्च, 2022

सा.का.नि. 218(अ).—केन्द्र सरकार रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 87 की उप-धारा (2) के खंड (घ) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रेल (वैगनों की अधिक लदाई के लिए दंडात्मक प्रभार) नियम 2012 में और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रेल (वैगनों की अधिक लदाई के लिए दंडात्मक प्रभार) (संशोधन) नियम, 2022 है।
(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- रेल (वैगनों की अधिक लदाई के लिए दंडात्मक प्रभार) नियम, 2012 में अनुसूची के स्थान निम्नलिखित अनुसूची को प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"अनुसूची

(सीसी+6, सीसी+6 के सिवाय, सीसी+8, और 25 टन धुरी भार मार्गों पर लदाई के लिए)

स्थिति - क

यदि किसी रेल का कुल संदाय लदान सम्मिलित अनुज्ञेय वहन क्षमता से अधिक नहीं है तो निम्नानुसार दंडात्मक प्रभार उद्गृहीत किए जाएंगे, अर्थात्:—

भाग-I

बीसीएनएचएल, बीसीसीडब्ल्यू, बीएफएनएसएम 22.9, बीसीएफसी और बीसीएफसीएम वैगनों को छोड़कर, अन्य वैगनों के लिए

अधिक लदान की सीमा	*अनुज्ञेय वहन क्षमता और एक टन सहायता लदान से अधिक लादी गई वस्तु के समग्र भार पर उद्ग्रहणीय दंडात्मक प्रभार
यदि वस्तु का भार वैगन की अनुज्ञेय वहन क्षमता से अधिक है;	
(क) एक टन तक	कुछ नहीं।
(ख) एक टन से अधिक परंतु चार टन से अधिक नहीं	उस वस्तु पर लागू मालभाड़ा दर का दुगुना।
(ग) चार टन से अधिक	उस वस्तु पर लागू मालभाड़ा दर का ढाई गुना।

***स्पष्टीकरण:** यह स्पष्ट किया जाता है कि एक टन तक अनुज्ञेय वहन क्षमता से अधिक भार पर उस वस्तु के लिए लागू दर पर सामान्य मालभाड़ा वसूलनीय होगा और अनुज्ञेय वहन क्षमता और एक टन सहायता लदान से अधिक वस्तु के समग्र भार के लिए दंडात्मक प्रभार वसूल किए जाएंगे।

भाग- II

बीसीएनएचएल, बीसीसीडब्ल्यू, बीएफएनएसएम 22.9, बीसीएफसी और बीसीएफसीएम वैगनों के लिए

अधिक लदान की सीमा	*अनुज्ञेय वहन क्षमता और आधा टन सहायता लदान से अधिक लादी गई वस्तु के समग्र भार पर उद्ग्रहणीय दंडात्मक प्रभार
यदि वस्तु का भार वैगन की अनुज्ञेय वहन क्षमता से अधिक है;	
(क) आधा टन तक	कुछ नहीं
(ख) आधे टन से अधिक परंतु साढ़े तीन टन से अधिक नहीं	उस वस्तु पर लागू मालभाड़ा दर का दुगुना।
(ग) साढ़े तीन टन से अधिक	उस वस्तु पर लागू मालभाड़ा दर का ढाई गुना।

***स्पष्टीकरण:** यह स्पष्ट किया जाता है कि आधे टन तक अनुज्ञेय वहन क्षमता से अधिक भार पर उस वस्तु के लिए लागू दर पर सामान्य मालभाड़ा वसूलनीय होगा और अनुज्ञेय वहन क्षमता और आधे टन सहायता लदान से अधिक वस्तु के समग्र भार के लिए दंडात्मक प्रभार वसूल किए जाएंगे।

भाग- III

कंटेनर गाड़ियों के लिए

अधिक लदान की सीमा	*अनुज्ञेय वहन क्षमता और एक टन सहायता लदान से अधिक लादी गई वस्तु के समग्र भार पर उद्ग्रहणीय दंडात्मक प्रभार
यदि वस्तु का भार वैगन की अनुज्ञेय वहन क्षमता से अधिक है;	
(क) एक टन तक	कुछ नहीं।

(ख) एक टन से अधिक परंतु चार टन से अधिक नहीं	उस वस्तु पर लागू मालभाड़ा दर का दुगुना।
(ग) चार टन से अधिक	उस वस्तु पर लागू मालभाड़ा दर का ढाई गुना।

*स्पष्टीकरण: यह स्पष्ट किया जाता है कि एक टन तक अनुज्ञेय वहन क्षमता से अधिक भार पर उस वस्तु के लिए लागू दर पर सामान्य मालभाड़ा वसूलनीय होगा और अनुज्ञेय वहन क्षमता और एक टन सह्यता लदान से अधिक वस्तु के समग्र भार के लिए दंडात्मक प्रभार वसूल किए जाएंगे।

स्थिति-ख

यदि किसी रिक का कुल संदाय लदान सम्मिलित अनुज्ञेय वहन क्षमता से अधिक है तो निम्नानुसार दंडात्मक प्रभार उद्गृहीत किए जाएंगे, अर्थात्:-

भाग- I

बीसीएनएचएल, बीसीसीडब्ल्यू, बीएफएनएसएम 22.9, बीसीएफसी और बीसीएफसीएम वैगनों को छोड़कर, अन्य वैगनों के लिए

अधिक लदान की सीमा	*अनुज्ञेय वहन क्षमता से अधिक लादी गई वस्तु के समग्र भार पर उद्गृहणीय दंडात्मक प्रभार
यदि वस्तु का भार वैगन की अनुज्ञेय वहन क्षमता से अधिक है;	
(क) एक टन तक	कुछ नहीं
(ख) एक टन से अधिक किंतु चार टन से अधिक नहीं	उस वस्तु पर लागू मालभाड़ा दर का तिगुना
(ग) चार टन से अधिक	उस वस्तु पर लागू मालभाड़ा दर का चार गुना

*स्पष्टीकरण- यह स्पष्ट किया जाता है कि एक टन तक अनुज्ञेय वहन क्षमता से अधिक भार पर उस वस्तु के लिए लागू दर पर सामान्य मालभाड़ा वसूलनीय होगा। तथापि, यदि भार एक टन से अधिक अनुज्ञेय वहन क्षमता से अधिक है तो अनुज्ञेय वहन क्षमता से अधिक वस्तु के समग्र भार के लिए दंडात्मक प्रभार वसूल किए जाएंगे।

भाग- II

बीसीएनएचएल, बीसीसीडब्ल्यू, बीएफएनएसएम 22.9, बीसीएफसी और बीसीएफसीएम वैगनों के लिए

अधिक लदान की सीमा	*अनुज्ञेय वहन क्षमता से अधिक लादी गई वस्तु के समग्र भार पर उद्गृहणीय दंडात्मक प्रभार
यदि वस्तु का भार वैगन की अनुज्ञेय वहन क्षमता से अधिक है;	
(क) आधे टन तक	कुछ नहीं
(ख) आधे टन से अधिक किंतु साढ़े तीन टन से अधिक नहीं	उस वस्तु पर लागू मालभाड़ा दर का तिगुना
(ग) साढ़े तीन टन से अधिक	उस वस्तु पर लागू मालभाड़ा दर का चार गुना

*स्पष्टीकरण- यह स्पष्ट किया जाता है कि आधे टन तक अनुज्ञेय वहन क्षमता से अधिक भार पर उस वस्तु के लिए लागू दर पर सामान्य मालभाड़ा वसूलनीय होगा। तथापि, यदि भार आधे टन से अधिक अनुज्ञेय वहन क्षमता से अधिक है तो अनुज्ञेय वहन क्षमता से अधिक वस्तु के समग्र भार के लिए दंडात्मक प्रभार वसूल किए जाएंगे।

भाग- III

कंटेनर गाड़ियों के लिए

अधिक लदान की सीमा	*अनुज्ञेय वहन क्षमता से अधिक लादी गई वस्तु के समग्र भार पर उद्ग्रहणीय दंडात्मक प्रभार
यदि वस्तु का भार वैगन की अनुज्ञेय वहन क्षमता से अधिक है;	
(क) एक टन तक	कुछ नहीं
(ख) एक टन से अधिक किंतु चार टन से अधिक नहीं	उस वस्तु पर लागू मालभाड़ा दर का तिगुना
(ग) चार टन से अधिक	उस वस्तु पर लागू मालभाड़ा दर का चार गुना

***स्पष्टीकरण-** यह स्पष्ट किया जाता है कि एक टन तक अनुज्ञेय वहन क्षमता से अधिक भार पर उस वस्तु के लिए लागू दर पर सामान्य मालभाड़ा वसूलनीय होगा। तथापि, यदि भार एक टन से अधिक अनुज्ञेय वहन क्षमता से अधिक है तो अनुज्ञेय वहन क्षमता से अधिक वस्तु के समग्र भार के लिए दंडात्मक प्रभार वसूल किए जाएंगे।

[फा. सं..टीसी-1/2022/109/ईफाइल/2(3382093)]

ब्रजेश धर्मानि, कार्यपालक निदेशक, यातायात वाणिज्य(दर)

टिप्पण- मूल नियम भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II खंड 3, उपखंड (i) में दिनांक 17 जुलाई, 2012 के सा.का.नि. 570 (अ) के तहत प्रकाशित किए गए थे और पिछली बार दिनांक 17 सितंबर, 2020 के सा.का.नि. 566(अ) की अधिसूचना के तहत संशोधित किये गए थे।

MINISTRY OF RAILWAYS**(RAILWAY BOARD)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 23rd March, 2022

G.S.R. 218(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (d) of sub-section (2) of section 87 of the Railways Act, 1989 (No. 24 of 1989), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Railways (Punitive Charges for overloading of wagon) Rules, 2012, namely:—

1. (1) These rules may be called the **Railways (Punitive Charges for overloading of wagon) (Amendment) Rules, 2022.**

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Railways (Punitive Charges for overloading of wagon) Rules, 2012, for the Schedule, the following Schedule shall be substituted, namely:—

“SCHEDULE

(for loading on excepted CC+6, CC+6, CC+8 and 25 tonne axle load routes)

Situation-A

If the aggregated pay load in a rake does not exceed the combined permissible carrying capacity of the rake, the punitive charges shall be levied as per following, namely:-

Part-I

For wagons other than BCNHL, BCCW, BFNSM22.9, BCFC and BCFCM

Extent of overloading	*Punitive charges leviable on the entire weight of commodity loaded in excess of permissible carrying capacity and loading tolerance of one tonne
If the weight of the commodity exceeds the permissible carrying capacity of wagon;	
(a) upto one tonne	Nil.
(b) by more than one tonne but not more than four tonnes	Two times of the freight rate applicable to that commodity.
(c) by more than four tonnes	Two and half times of the freight rate applicable to that commodity.

*Explanation- It is hereby clarified that on the weight exceeding the permissible carrying capacity upto one tonne, the normal freight at the rate applicable to the commodity shall be recoverable and punitive charges shall be recovered for the entire weight of the commodity in excess of permissible carrying capacity and loading tolerance of one tonne.

Part-II

For BCNHL, BCCW, BFNSM22.9, BCFC and BCFCM wagons

Extent of overloading	*Punitive charges leviable on the entire weight of commodity loaded in excess of permissible carrying capacity and loading tolerance of half tonne
If the weight of the commodity exceeds the permissible carrying capacity of wagon;	
(a) upto half tonne	Nil.
(b) by more than half tonne but not more than three and half tonnes	Two times of the freight rate applicable to that commodity.
(c) by more than three and half tonnes	Two and half times of the freight rate applicable to that commodity.

*Explanation- It is hereby clarified that on the weight exceeding the permissible carrying capacity upto half tonne, the normal freight at the rate applicable to the commodity shall be recoverable and punitive charges shall be recovered for the entire weight of the commodity in excess of permissible carrying capacity and loading tolerance of half tonne.

Part-III

For Container Trains

Extent of overloading	*Punitive charges leviable on the entire weight of commodity loaded in excess of permissible carrying capacity and loading tolerance of one tonne
If the weight of the commodity exceeds the permissible carrying capacity of wagon;	
(a) upto one tonne	Nil.
(b) by more than one tonne but not more than four tonnes	Two times of the freight rate applicable to that commodity.
(c) by more than four tonnes	Two and half times of the freight rate applicable to that commodity.

*Explanation- It is hereby clarified that on the weight exceeding the permissible carrying capacity upto one tonne, the normal freight at the rate applicable to the commodity shall be recoverable and punitive charges shall be recovered for the entire weight of the commodity in excess of permissible carrying capacity and loading tolerance of one tonne.

Situation-B

If the aggregated pay load in a rake exceeds the combined permissible carrying capacity of the rake, the punitive charges shall be levied as per following, namely:-

Part-I

For wagons other than BCNHL, BCCW, BFNSM22.9, BCFC and BCFCM

Extent of overloading	*Punitive charges leviable on the entire weight of commodity loaded in excess of permissible carrying capacity
If the weight of the commodity exceeds the permissible carrying capacity of wagon;	
(a) upto one tonne	Nil.
(b) by more than one tonne but not more than four tonnes	Three times of the freight rate applicable to that commodity.
(c) by more than four tonnes	Four times of the freight rate applicable to that commodity.

***Explanation-** It is hereby clarified that on the weight exceeding the permissible carrying capacity upto one tonne, the normal freight at the rate applicable to the commodity shall be recoverable. However, in case of the weight exceeds the permissible carrying capacity by more than one tonne, punitive charges shall be recovered for the entire weight of the commodity in excess of permissible carrying capacity.

Part-II

For BCNHL, BCCW, BFNSM22.9, BCFC and BCFCM wagons

Extent of overloading	*Punitive charges leviable on the entire weight of commodity loaded in excess of permissible carrying capacity
If the weight of the commodity exceeds the permissible carrying capacity of wagon;	
(a) upto half tonne	Nil.
(b) by more than half tonne but not more than three and half tonnes	Three times of the freight rate applicable to that commodity.
(c) by more than three and half tonnes	Four times of the freight rate applicable to that commodity.

***Explanation-** It is hereby clarified that on the weight exceeding the permissible carrying capacity upto half tonne, the normal freight at the rate applicable to the commodity shall be recoverable. However, in case of the weight exceeds the permissible carrying capacity by more than half tonne, punitive charges shall be recovered for the entire weight of the commodity in excess of permissible carrying capacity.

Part-III

For Container Trains

Extent of overloading	*Punitive charges leviable on the entire weight of commodity loaded in excess of permissible carrying capacity
If the weight of the commodity exceeds the permissible carrying capacity of wagon;	
(a) upto one tonne	Nil.
(b) by more than one tonne but not more than four tonnes	Three times of the freight rate applicable to that commodity.
(c) by more than four tonnes	Four times of the freight rate applicable to that commodity.

***Explanation-** It is hereby clarified that on the weight exceeding the permissible carrying capacity upto one tonne, the normal freight at the rate applicable to the commodity shall be recoverable. However, in case of the weight exceeds the permissible carrying capacity by more than one tonne, punitive charges shall be recovered for the entire weight of the commodity in excess of permissible carrying capacity.

[F. No.TC-I/2022/109/eFile/2(3382093)]

BARJESH DHARMANI, Executive Director, Traffic Commercial (Rates)

Note.- The principal rules were published in the Gazette of India Extraordinary, Part II Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 570(E), dated the 17th July, 2012 and was last amended vide notification number G.S.R.566(E), dated the 17th September 2020.